मानव संसाधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
प्लाट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली- 110075

HUMAN RESOURCE DIVISION, HEAD OFFICE
PLOT NO. 4, SECTOR-10, DWARKA, NEW DELHI-110075

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजाब नैशनल बैंक में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

(HRD/APPRENTICE/ADVT/2025-26)

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजाब नैशनल बैंक में प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक पात्र तथा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से एतदद्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना

1	**कुल सीटें:**	**5138**
2	**ऑनलाइन पंजीकरण तथा आवेदन जमा करने की आरंभिक तिथि:**	**08.02.2026**
3	**ऑनलाइन पंजीकरण तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:**	**24.02.2026**
4	**ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि:**	मार्च 2026 का पहला हफ़्ता (उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा)
5	**पात्रता मानदंड, आयु तथा अर्हता के लिए कटऑफ तिथि:**	**01.01.2026**
6	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे वेबसाइट https://www.pnb.bank.in/recruitments.aspx (आवेदन लिंक से प्रशिक्षुओं हेतु आवेदन करने के लिए बीएफएसआई सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (बीएफएसआई एसएससी) की वेबसाइट खुलेगी) या https://bfsissc.com पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।	
7	**आवेदन और अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी इस कार्यालय को न भेजी जाए।**	

1. पात्रता मानदंड:

1.1. राष्ट्रीयता/नागरिकता

अभ्यर्थी या तो –

(i) भारत का नागरिक हो या
(ii) नेपाल का नागरिक हो या
(iii) भूटान का नागरिक हो या
(iv) कोई तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, या
(v) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंगानिका और ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से विस्थापित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के प्रयोजन से आया हो, बशर्ते कि उपर्युक्त (ii), (iii), (iv) एवं (v) की श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व भारत सरकार द्वारा पात्रता का एक प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

pnb one #JustOneApp

1.2. आयु

दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष अर्थात अभ्यर्थियों का जन्म दिनांक 02.01.1998 से पूर्व तथा दिनांक 01.01.2006 के बाद न हुआ हो। इंगित की गई अधिकतम आयु अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए है। ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू है, परंतु एनएपीएस के अंतर्गत अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 01.01.2026 तक छूट 34 वर्ष से अधिक नहीं है।

1.3. ऊपरी आयु सीमा में छूट:

क्र.सं.	श्रेणी	आयु में छूट
(i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	05 वर्ष
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)	03 वर्ष
(iii)	"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति	10 वर्ष
(iv)	विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से विधिक रूप अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुन: विवाह नही किया है।	सामान्य / ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष की आयु तक आयु छूट, अपिव के लिए 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों लिए 40 वर्ष

टिप्पणी:

क. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट केवल शेष श्रेणियों में से एक के साथ संचयी आधार पर दी जाती है, जिसके लिए आयु में छूट की अनुमति है जैसा कि ऊपर 1.3 (iii) से (iv) में उल्लिखित है।**

ख. आयु छूट/अन्य लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैंक द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित मूल/प्रतियों में आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने/प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर अस्वीकृत की जा सकती है।

ग. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति / दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। ओबीसी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर से संबन्धित नहीं है (भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है) । अभ्यर्थी के पास समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के तहत आने वाले अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित के रूप में दर्शानी चाहिए।

1.4. शैक्षणिक अर्हता

(i) सरकारी निकाय/एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित किसी भी संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय/ से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। अर्हता का परिणाम दिनांक 31.12.2025 को या उससे पहले अवश्य घोषित किया गया हो तथा अभ्यर्थी को बैंक द्वारा आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान से जारी अंक पत्र और अंतिम डिग्री प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

(ii) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के अंतर्गत पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए, उनका स्नातक उत्तीर्ण करने की तिथि कट-ऑफ तिथि अर्थात 01.01.2026 से 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(iii) किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रशिक्षण सीटों के लिए आवेदन करने वाले अभियार्थियों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय भाषा में प्रवीण (पढ़ना, लिखना, बोलना तथा समझना) होना चाहिए।

1.5. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि

प्रशिक्षण की कुल अवधि अनुबंध की तिथि से एक वर्ष (अर्थात 12 माह) की होगी। एक वर्ष के प्रशिक्षण में 2 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण तथा 50 सप्ताह का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण सम्मिलित होगा।

2. प्रशिक्षण सीटें:

प्रशिक्षुओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, मंडल-वार तथा श्रेणी-वार सीटों का विवरण नीचे दिया गया है। बैंक को प्रशासनिक/परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी मंडल को आवंटित करने का अधिकार होगा।

राज्य	मंडल	कुल सीटें*	एस सी	एस टी	ओबी सी	ईड ब्ल्यू एस	अनार क्षित	कुल	पीडब्ल्यूबीडी			
									दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	अस्थि बाधित	बौद्धिक अक्षमता
अंडमान एवं निकोबार	कोलकाता - पश्चिम	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	उप-जोड़	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	30	5	2	3	3	17	30	1	0	0	0
	विजाग	26	4	0	7	3	12	26	0	0	1	0
	उप-जोड़	**56**	**9**	**2**	**10**	**6**	**29**	**56**	**1**	**0**	**1**	**0**
अरुणाचल प्रदेश	डिब्रूगढ़	3	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0
	उप-जोड़	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
असम	डिब्रूगढ़	25	2	3	7	3	10	25	1	0	0	0
	गुवाहाटी	43	3	5	3	0	32	43	0	0	1	0
	जोरहाट	20	1	2	5	2	10	20	0	0	0	1
	नगांव	25	2	3	7	3	10	25	0	1	0	0
	सिलचर	19	1	2	5	2	9	19	0	0	1	0
	उप-जोड़	**132**	**9**	**15**	**27**	**10**	**71**	**132**	**1**	**1**	**2**	**1**

राज्य	मंडल	कुल सीटें*	एस सी	एस टी	ओबी सी	ईडब्ल्यूएस	अनारक्षित	कुल	पीडब्ल्यूबीडी			
									दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	अस्थि बाधित	बौद्धिक अक्षमता
बिहार	आरा	33	5	0	9	0	19	33	0	0	2	1
	औरंगाबाद (बिहार)	33	5	0	9	3	16	33	0	1	0	0
	भागलपुर	27	4	0	7	3	13	27	1	0	0	0
	बिहारशरीफ	27	4	0	7	0	16	27	0	0	1	0
	चंपारण (मोतिहारी)	25	4	0	7	3	11	25	0	0	1	0
	दरभंगा	28	4	0	8	3	13	28	0	0	0	0
	गया	31	5	0	8	0	18	31	0	1	0	0
	मुजफ्फरपुर	27	4	0	7	3	13	27	0	0	0	1
	पटना	58	1	1	1	6	49	58	0	1	0	0
	पूर्णिया	21	3	0	6	2	10	21	1	0	1	0
	उप-जोड़	**310**	**39**	**1**	**69**	**23**	**178**	**310**	**2**	**3**	**5**	**2**
चंडीगढ़	चंडीगढ़	58	10	0	16	1	31	58	1	1	0	0
	उप-जोड़	**58**	**10**	**0**	**16**	**1**	**31**	**58**	**1**	**1**	**0**	**0**
दादर और नगर हवेली	सूरत	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	उप-जोड़	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
दमन और दीव	राजकोट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सूरत	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	उप-जोड़	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
दिल्ली	पूर्वी दिल्ली	104	16	4	28	10	46	104	1	1	2	1
	उत्तरी दिल्ली	104	16	8	28	2	50	104	1	1	1	1
	दक्षिण दिल्ली	104	10	8	28	10	48	104	1	2	1	1
	पश्चिमी दिल्ली	105	16	8	28	11	42	105	1	0	1	1
	उप-जोड़	**417**	**58**	**28**	**112**	**33**	**186**	**417**	**4**	**4**	**5**	**4**
गोवा	कोल्हापुर	7	0	1	0	1	5	7	0	0	0	0
	उप-जोड़	**7**	**0**	**1**	**0**	**1**	**5**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**
गुजरात	अहमदाबाद	55	4	7	15	6	23	55	1	0	0	0
	राजकोट	32	2	5	9	3	13	32	0	1	1	0
	सूरत	25	2	4	7	3	9	25	0	1	0	0
	वडोदरा	26	2	4	7	3	10	26	1	0	0	1
	उप-जोड़	**138**	**10**	**20**	**38**	**15**	**55**	**138**	**2**	**2**	**1**	**1**
हरियाणा	गुरुग्राम	64	14	0	17	6	27	64	0	0	1	0
	हिसार	37	3	0	10	4	20	37	0	1	0	1
	जींद	31	6	0	8	3	14	31	1	0	0	0
	करनाल	46	9	0	12	5	20	46	0	0	1	1

राज्य	मंडल	कुल सीटें*	एस सी	एस टी	ओबी सी	ईडब्ल्यू एस	अनारक्षित	कुल	पीडब्ल्यूबीडी			
									दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	अस्थि बाधित	बौद्धिक अक्षमता
	कुरुक्षेत्र	38	2	0	10	4	22	38	0	1	0	0
	पानीपत	38	7	0	10	4	17	38	0	1	0	1
	रेवाड़ी	29	6	0	8	3	12	29	1	0	1	0
	रोहतक	36	7	0	10	4	15	36	1	0	0	0
	सिरसा	29	6	0	8	3	12	29	0	1	1	0
	उप-जोड़	**348**	**60**	**0**	**93**	**36**	**159**	**348**	**3**	**4**	**4**	**3**
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	39	10	0	8	4	17	39	0	1	0	1
	हमीरपुर	33	8	0	7	3	15	33	1	0	0	0
	मंडी	33	8	1	7	1	16	33	0	1	0	0
	शिमला	27	7	1	5	3	11	27	0	0	0	1
	सोलन	30	3	1	6	3	17	30	1	0	0	0
	उप-जोड़	**162**	**36**	**3**	**33**	**14**	**76**	**162**	**2**	**2**	**0**	**2**
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	38	1	4	10	1	22	38	0	0	0	1
	श्रीनगर	15	1	0	4	2	8	15	0	1	0	0
	उप-जोड़	**53**	**2**	**4**	**14**	**3**	**30**	**53**	**0**	**1**	**0**	**1**
झारखंड	बोकारो	42	5	11	5	0	21	42	1	0	0	1
	रांची	53	6	2	6	5	34	53	0	1	1	0
	उप-जोड़	**95**	**11**	**13**	**11**	**5**	**55**	**95**	**1**	**1**	**1**	**1**
कर्नाटक	बेंगलुरु	44	3	3	12	4	22	44	0	0	1	0
	हुबली	20	3	0	2	2	13	20	1	0	0	1
	उप-जोड़	**64**	**6**	**3**	**14**	**6**	**35**	**64**	**1**	**0**	**1**	**1**
केरल	एर्नाकुलम	36	0	0	1	4	31	36	0	0	0	1
	कोझिकोड	27	3	0	7	0	17	27	1	0	0	0
	तिरुवनंतपुरम	20	2	0	5	2	11	20	0	1	0	0
	उप-जोड़	**83**	**5**	**0**	**13**	**6**	**59**	**83**	**1**	**1**	**0**	**1**
लेह	श्रीनगर	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	उप-जोड़	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
मध्य प्रदेश	भोपाल	53	8	11	8	5	21	53	1	0	0	1
	ग्वालियर	31	5	6	5	3	12	31	0	0	1	0
	इंदौर	34	3	7	3	3	18	34	0	1	0	0
	जबलपुर	38	6	8	6	4	14	38	1	0	0	1
	उज्जैन	24	4	3	4	2	11	24	0	0	1	0
	उप-जोड़	**180**	**26**	**35**	**26**	**17**	**76**	**180**	**2**	**1**	**2**	**2**
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	14	1	1	4	1	7	14	1	0	0	1
	मुंबई शहर	40	4	4	11	4	17	40	0	1	0	0

मानव संसाधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
HUMAN RESOURCE DIVISION, HEAD OFFICE

राज्य	मंडल	कुल सीटें*	एस सी	एस टी	ओबी सी	ईडब्ल्यूएस	अनारक्षित	कुल	पीडब्ल्यूबीडी			
									दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	अस्थि बाधित	बौद्धिक अक्षमता
	मुंबई पश्चिम	39	4	4	11	4	16	39	1	0	0	1
	नागपुर	37	4	3	10	4	16	37	0	0	1	0
	नासिक	28	3	3	8	3	11	28	0	1	0	0
	पुणे	35	4	1	9	4	17	35	0	0	1	0
	ठाणे	39	4	4	11	4	16	39	0	0	0	1
	उप-जोड़	**232**	**24**	**20**	**64**	**24**	**100**	**232**	**2**	**2**	**2**	**3**
मणिपुर	इम्फाल	13	0	4	0	0	9	13	0	1	0	0
	उप-जोड़	**13**	**0**	**4**	**0**	**0**	**9**	**13**	**0**	**1**	**0**	**0**
मेघालय	गुवाहाटी	8	0	0	0	1	7	8	0	0	0	0
	उप-जोड़	**8**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**
मिजोरम	इम्फाल	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
	उप-जोड़	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
नगालैंड	इम्फाल	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	उप-जोड़	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
ओडिशा	बालेश्वर	24	4	5	3	2	10	24	1	0	0	0
	बहरामपुर (गंजाम)	17	2	4	2	2	7	17	0	0	0	1
	भुवनेश्वर	38	6	4	2	4	22	38	0	0	1	0
	कटक	27	4	6	3	3	11	27	0	1	0	1
	संबलपुर	36	6	8	4	4	14	36	1	0	0	0
	उप-जोड़	**142**	**22**	**27**	**14**	**15**	**64**	**142**	**2**	**1**	**1**	**2**
पुदुचेरी	त्रिची	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	उप-जोड़	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
पंजाब	अमृतसर	56	16	0	12	6	22	56	1	0	1	0
	भटिंडा	36	10	0	8	4	14	36	1	1	0	1
	फाज़िल्का	30	9	0	6	0	15	30	1	0	0	1
	होशियारपुर	39	11	0	8	4	16	39	0	1	1	0
	जालंधर	56	15	0	11	6	24	56	1	1	0	0
	कपूरथला	35	10	0	7	4	14	35	0	0	0	1
	लुधियाना	60	17	0	13	6	24	60	0	0	1	0
	मोगा	30	9	0	6	1	14	30	1	0	0	0
	पठानकोट	33	10	0	7	3	13	33	0	0	1	1
	पटियाला	49	14	0	10	5	20	49	0	0	0	1
	एसएएस नगर (मोहाली)	38	11	0	8	4	15	38	0	1	1	0
	उप-जोड़	**462**	**132**	**0**	**96**	**43**	**191**	**462**	**5**	**4**	**5**	**5**

मानव संसाधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
HUMAN RESOURCE DIVISION, HEAD OFFICE

राज्य	मंडल	कुल सीटें*	एस सी	एस टी	ओबी सी	ईड ब्ल्यू एस	अनार क्षित	कुल	पीडब्ल्यूबीडी			
									दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	अस्थि बाधित	बौद्धिक अक्षमता
राजस्थान	अलवर	40	7	5	8	4	16	40	1	0	0	0
	भरतपुर	38	6	5	8	4	15	38	0	1	0	1
	बीकानेर	28	5	4	6	3	10	28	1	0	0	1
	हनुमानगढ़	34	6	0	7	0	21	34	0	0	1	0
	जयपुर - अजमेर	58	10	8	12	6	22	58	1	0	0	0
	जयपुर - सीकर	36	6	5	7	4	14	36	0	1	0	1
	जोधपुर	36	6	5	7	4	14	36	0	0	1	0
	कोटा	29	5	4	6	2	12	29	0	1	0	0
	श्रीगंगानगर	34	6	4	2	3	19	34	1	0	1	0
	उदयपुर	30	5	4	6	3	12	30	0	1	0	1
	उप-जोड़	**363**	**62**	**44**	**69**	**33**	**155**	**363**	**4**	**4**	**3**	**4**
सिक्किम	न्यू जलपाईगुड़ी (सिलीगुड़ी)	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
	उप-जोड़	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
तमिलनाडु	चेन्नई	56	11	1	15	6	23	56	1	0	1	0
	कोयंबटूर	28	5	0	3	3	17	28	0	1	0	0
	त्रिची	37	7	0	10	4	16	37	1	0	0	1
	उप-जोड़	**121**	**23**	**1**	**28**	**13**	**56**	**121**	**2**	**1**	**1**	**1**
तेलंगाना	हैदराबाद	40	6	3	11	4	16	40	1	0	0	0
	सिकंदराबाद	29	5	2	8	3	11	29	0	1	1	0
	उप-जोड़	**69**	**11**	**5**	**19**	**7**	**27**	**69**	**1**	**1**	**1**	**0**
त्रिपुरा	अगरतला	28	5	9	1	3	10	28	0	0	0	1
	उप-जोड़	**28**	**5**	**9**	**1**	**3**	**10**	**28**	**0**	**0**	**0**	**1**
उत्तर प्रदेश	आगरा	38	8	0	10	4	16	38	1	0	1	0
	अलीगढ़	32	7	0	9	3	13	32	0	0	0	1
	अयोध्या (फैजाबाद)	42	9	1	11	4	17	42	1	0	1	0
	बरेली	42	9	0	11	4	18	42	0	1	0	0
	बिजनौर	31	7	0	8	3	13	31	1	0	0	1
	बुलंदशहर	46	10	0	13	5	18	46	0	1	1	0
	इटावा	30	6	0	8	3	13	30	0	1	0	0
	गाजियाबाद	35	7	0	9	4	15	35	0	0	0	1
	गोरखपुर	44	9	1	12	4	18	44	1	0	1	0
	झांसी	31	7	0	8	3	13	31	0	1	0	0
	कानपुर शहर	46	10	0	12	5	19	46	0	0	0	1
	लखनऊ	65	14	1	18	3	29	65	1	0	1	0

राज्य	मंडल	कुल सीटें*	एस सी	एस टी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	अनारक्षित	कुल	पीडब्ल्यूबीडी			
									दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	अस्थि बाधित	बौद्धिक अक्षमता
	मऊ	28	6	0	8	3	11	28	0	1	0	0
	मेरठ	54	11	1	15	5	22	54	0	1	0	1
	मुरादाबाद	27	6	0	7	3	11	27	0	0	1	1
	मुजफ्फरनगर	38	8	1	10	4	15	38	1	0	1	0
	नोएडा	37	8	0	10	4	15	37	0	0	0	1
	प्रयागराज (इलाहाबाद)	29	6	0	8	3	12	29	0	1	0	0
	रायबरेली	26	5	0	7	3	11	26	0	0	0	1
	सहारनपुर	33	7	0	9	2	15	33	1	0	1	0
	सीतापुर	26	5	0	7	3	11	26	0	1	0	0
	वाराणसी	34	2	0	9	3	20	34	0	0	1	1
	उप-जोड़	**814**	**167**	**5**	**219**	**78**	**345**	**814**	**7**	**8**	**9**	**9**
उत्तराखंड	देहरादून	56	10	2	1	6	37	56	1	0	0	0
	हल्द्वानी	38	7	1	5	0	25	38	0	0	1	0
	हरिद्वार	33	6	1	4	3	19	33	0	1	0	1
	टिहरी	25	5	1	3	3	13	25	1	1	0	0
	उप-जोड़	**152**	**28**	**5**	**13**	**12**	**94**	**152**	**2**	**2**	**1**	**1**
पश्चिम बंगाल	बर्धमान	30	7	2	7	2	12	30	1	0	0	1
	दुर्गापुर	28	6	1	6	3	12	28	0	0	1	0
	हुगली	31	7	2	3	3	16	31	0	0	0	1
	खड़गपुर	27	6	1	2	3	15	27	0	1	0	1
	कोलकाता - उत्तर	56	13	3	12	6	22	56	1	0	0	0
	कोलकाता - दक्षिण (बेहाला)	44	10	2	10	4	18	44	0	0	1	0
	कोलकाता - पश्चिम	44	10	2	10	4	18	44	0	1	0	0
	मालदा	25	6	0	6	3	10	25	1	0	1	0
	मुर्शिदाबाद	27	6	1	6	3	11	27	0	1	0	0
	नादिया	27	6	0	6	3	12	27	0	0	0	1
	न्यू जलपाईगुड़ी (सिलीगुड़ी)	24	6	0	2	2	14	24	0	0	1	0
	उत्तर 24 परगना	40	9	2	9	4	16	40	0	1	0	0
	पश्चिम मेदिनीपुर	27	6	1	6	3	11	27	0	0	0	1
	पूर्व मेदिनीपुर	36	8	2	8	4	14	36	1	0	1	0
	पुरुलिया	37	9	2	8	4	14	37	0	0	0	1
	दक्षिण 24 परगना	29	7	1	6	3	12	29	0	1	1	0

राज्य	मंडल	कुल सीटें*	एस सी	एस टी	ओबी सी	ईड ब्ल्यू एस	अनार क्षित	कुल	पीडब्ल्यूबीडी			
									दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	अस्थि बाधित	बौद्धिक अक्षमता
	उप-जोड़	**532**	**122**	**22**	**107**	**54**	**227**	**532**	**4**	**5**	**6**	**6**
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	33	4	11	1	3	14	33	0	0	1	0
	रायपुर	48	6	15	3	2	22	48	1	1	0	0
	उप-जोड़	**81**	**10**	**26**	**4**	**5**	**36**	**81**	**1**	**1**	**1**	**0**
उप-जोड़ योग		**5138**	**887**	**294**	**1110**	**464**	**2383**	**5138**	**51**	**51**	**52**	**51**

**ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण सीटों की संख्या अनंतिम है और बैंक की आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति के समय भिन्न हो सकती है*

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर: एससी- अनुसूचित जाति; एसटी- अनुसूचित जनजाति; ओबीसी- अन्य पिछड़ा वर्ग; ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ; यूआर- अनारक्षित श्रेणी; **पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी - बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति** - वीआई - दृष्टिबाधित; एचआई- श्रवणबाधित ; ओसी-अस्थि विकलांग; आईडी-बौद्धिक दिव्यांगता । सरकार के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण होगा।

3. परिभाषाएँ:

3.1. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति:

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अंतर्गत, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं। उपर्युक्त सभी पदों को दिव्यांगजन अधिकारिता अधिनियम, 2016 की अनुसूची में यथापरिभाषित और समय-समय पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिसूचित, दिव्यांगता की निम्न श्रेणियों वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया है। है।

(i) **"ओसी"(अस्थि दिव्यांगता) श्रेणी**: किसी व्यक्ति की स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता जो मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की समस्याओं के कारण होती है है, जिसमें कुष्ठ रोग मुक्त, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, पेशी दुर्बलता और एसिड अटैक के पीड़ित शामिल हैं। निम्नलिखित मानदंडों वाले अस्थि विकलांग व्यक्ति चलन-सम्बन्धी(लोकोमीटर) दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं:

क. **"कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति"** का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन निम्न से पीड़ित है:

i. हाथों या पैरों में संवेदना की कमी के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना की कमी और पक्षाघात, लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;

ii. स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होती है जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकते हैं;

iii. अत्यधिक शारीरिक विकृति तथा अधिक आयु जो उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती है, तथा "कुष्ठ रोगमुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

ख. **"सेरेब्रल पाल्सी"** का अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी स्थितियों का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो सामान्यतः जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;

ग. **" बौनापन "** का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

घ. **"मस्कुलर डिस्ट्रॉफी"** का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को गति देने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और कई डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और अनुपलब्ध जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु इसकी विशेषताएँ है;

ङ. **एसिड अटैक पीड़ित"** का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमले के कारण विकृत हुआ व्यक्ति।

(ii) **"VI" श्रेणी (दृष्टिबाधित)**: केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति से पीड़ित हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

क. **दृष्टिहीनता:**

i. दृष्टि का पूर्ण आभाव; या

ii. ठीक हुई आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ दृश्य तीक्ष्णता 03/60 से कम या 10/200 से कम (स्नेलन); या

iii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम का कोण बनाना।

ख. **कम दृष्टि:**

i. दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम हो या 3/60 तक हो या 10/200 (स्नेलन) तक हो, ठीक हुई आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या

ii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम से लेकर 10 डिग्री तक का कोण।

(iii) **“एचआई” श्रेणी (श्रवण बाधित):**

क. **बधिर:** का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण क्षमता में कमी हो।

ख. **सुनने में कठिनाई:** का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक श्रवण क्षमता में कमी हो।

(iv) **“आईडी” (बौद्धिक दिव्यांगता) श्रेणी:** केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं

क. **बौद्धिक दिव्यांगता:**

i. **"ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" (एएसडी)** का अर्थ है एक न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थिति है जो सामान्यतः जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, संबंधों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या एक ही तरह के कार्यों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

#JustOneApp

ii. **"विशिष्ट सीखने की अक्षमता" (एसएलडी)** का अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा के प्रसंस्करण में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक दिव्यांगता , डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।

iii. **"मानसिक विकार" (एमआई)** का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के विकास में रुकावट या अपूर्णता की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता द्वारा चिह्नित की जाती है।

ख. **एकाधिक दिव्यांगता**: इसका अर्थ उपर्युक्त वर्णित पैरा "बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति" के अंतर्गत खंड I, II, III और IV (क) में से बहु-अक्षमताओं से है।

<u>टिप्पणी:</u>

क. केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे।"बेंचमार्क दिव्यांगता" का अर्थ है एक निर्दिष्ट दिव्यांगता का न्यूनतम 40%, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति शामिल हैं, जहां दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

ख. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" में निर्धारित और बैंक द्वारा निर्धारित रिक्तियों के अनुसार होगा।

3.2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस):

(i) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (केंद्रीय सूची) के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु.8.00 लाख (₹आठ लाख मात्र) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इस आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, कारोबार, पेशे आदि से प्राप्त आय शामिल होगी और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय होगी। साथ ही जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या धारित है, उन्हें परिवार की आय पर ध्यान दिए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में चिह्नित किए जाने से बाहर रखा जाएगा:

क. 5 एकड़ और उससे ऊपर की कृषि भूमि;
ख. 1000 वर्ग फुट एवं उससे ऊपर का आवासीय फ़्लैट;
ग. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड;
घ. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

(ii) एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में रखी गई संपत्ति को ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय जोड़ा जाएगा।

(iii) ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(iv) इस प्रयोजन हेतु "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन एवं उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियाँ अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगामी निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों**,** यदि कोई हों**,** के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

4. वेतन/ लाभ:

(i) नियुक्त प्रशिक्षु 01 (एक) वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए प्रति माह निम्नलिखित वेतन के लिए पात्र हैं

शाखा श्रेणी	वेतन (रु. में)
ग्रामीण / अर्ध-शहरी / शहरी	12,300/-
महानगर	15,000/-

(ii) प्रशिक्षु किसी अन्य भत्तों/लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

(iii) यदि कोई अनधिकृत अनुपस्थिति है तो उसे समायोजित करने के पश्चात प्रत्येक माह पूर्ण होने पर प्रशिक्षुओं को वेतन दिया जाएगा।

5. मूल्यांकन एवं प्रमाणन:

प्रशिक्षुओं को अपने प्रशिक्षु प्रशिक्षण के अंत में अंतिम मूल्यांकन परीक्षा(एं) देनी होगी। इसके पश्चात, प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, एक प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

6. प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के नियम और शर्तें:

(i) प्रशिक्षण अवधि/प्रशिक्षुता या नियुक्ति की अवधि 1 (एक) वर्ष के लिए होगी।

(ii) **प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को पंजाब नैशनल बैंक का “कार्मिक” नहीं माना जाएगा तथा वे बैंक के कर्मचारियों को दिए जा रहे किसी भी प्रकार के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।**

(iii) अभ्यर्थी ने इससे पूर्व पंजाब नैशनल बैंक अथवा किसी अन्य संगठन/संस्था में **अप्रेंटिसशिप नहीं की हो,** न ही वह अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 तथा समय-समय पर यथासंशोधित के अंतर्गत कोई अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कर रहा/रही हो।

(iv) वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता (अर्थात् स्नातक) प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि का प्रशिक्षण अथवा कार्य अनुभव प्राप्त किया है, वे अप्रेंटिस के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए **पात्र नहीं होंगे।**

(v) जिन अभ्यर्थियों की अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण सेवा को किसी संस्था द्वारा उनके कदाचार या चूक के कारण पूर्व में **समाप्त किया गया है, वे पात्र नहीं होंगे।**

(vi) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय बिंदु (iii) से (v) के संबंध में घोषणा/वचन-बंध प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों का उल्लंघन अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी दिए जाने की स्थिति में, चाहे वह नियुक्ति से पूर्व या पश्चात ज्ञात हो, बिना किसी सूचना के तत्काल सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ऐसी अवधि हेतु वेतन देय नहीं होगा, तथा यदि कोई वेतन पूर्व में दिया गया है तो उसे लागू विधि के अनुसार बैंक द्वारा वसूल किया जा सकता है।

(vii) प्रशिक्षुओं को बैंक/शाखा/संबंधित स्थान पर लागू अवकाशों का लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक माह की अप्रेंटिसशिप पूर्ण होने पर एक आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का अवकाश प्रशिक्षुओं के लिए लागू नहीं होगा।

(viii) चयनित प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की परिवहन सुविधा/छात्रावास सुविधा अथवा आवासीय व्यवस्था बैंक द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

(ix) श्रम से संबंधित कोई भी नियम जैसे भविष्य निधि (पीएफ़), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), बोनस आदि के प्रावधान इस अप्रेंटिसशिप पर **लागू नहीं होंगे।**

(x) प्रशिक्षु को प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात बैंक में नियुक्ति का दावा करने का **कोई अधिकार नहीं होगा।**

(xi) बैंक पर अप्रेंटिसशिप अवधि के दौरान अथवा उसके पश्चात प्रशिक्षुओं को **नियमित रोजगार देने का कोई दायित्व नहीं होगा।**अप्रेंटिसशिप अवधि पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों को संबंधित कार्य क्षेत्र से स्वतः मुक्त कर दिया जाएगा।

(xii) अप्रेंटिस द्वारा नियुक्ति अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का कदाचार किए जाने की स्थिति में बैंक को बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय अप्रेंटिसशिप **समाप्त करने का अधिकार होगा।**

(xiii) प्रशिक्षुओं को किसी भी संघ/यूनियन में शामिल होने या उसका गठन करने की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) मेरिट सूची के आधार पर उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को बैंक द्वारा अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से सीट की पेशकश की जाएगी। बैंक एवं अभ्यर्थी के मध्य अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से कोड संख्या वाला एक विशिष्ट अनुबंध जेनरेट किया जाएगा, जिस पर दोनों पक्षों के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे।

(xv) यदि प्रशिक्षु मूल प्रशिक्षण / ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के आरंभ की तिथि को बैंक के प्रशिक्षण स्थल/शाखा में रिपोर्ट नहीं करता/करती है, तो अप्रेंटिसशिप अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण अवधि के दौरान यदि प्रशिक्षु दुराचार, अवज्ञा, असंतोषजनक कार्य-निष्पादन अथवा बैंक के हितों के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो बैंक द्वारा 07 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा।

(xvi) पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के आंशिक अथवा पूर्ण निरस्तीकरण आदि से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम एवं सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। सीटों को भरना पूर्णतः बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा तथा यदि अनुपयुक्तता अथवा अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या के कारण कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

7. पंजीकरण / आवेदन प्रक्रिया:

विस्तृत जानकारी हेतु:-

(i) अप्रेंटिसशिप अधिसूचना बैंक की वेबसाइट (https://pnb.bank.in/Recruitments.aspx) एवं BFSI SSC की वेबसाइट (https://bfsissc.com) पर निम्न अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध होगी: **"Employment Opportunities >> Apprenticeship Opportunities >> Punjab National Bank >> PNB Apprenticeship Program 2025-26 >> Detailed Notification dated. 06.02.2026"**

पंजीकरण हेतु: -

(ii) आवेदकों को अपनी पात्रता का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए तथा **www.bfsissc.com** पर जाना चाहिए एवं इस अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अप्रेंटिसशिप प्रवेश परीक्षा (Apprenticeship Entrance Examination) के लिए पंजीकरण करना चाहिए: "**Employment Opportunities >> Apprenticeship Opportunities >> Punjab National Bank >> PNB Apprenticeship Program 2025-26 >> Apprenticeship Application Form**"। **अभ्यर्थियों को निम्नलिखित की आवश्यकता है:**

क. पूर्ण व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण प्रदान करें।
ख. सभी संबन्धित दस्तावेज़ (जाति प्रमाण पत्र, बेंचमार्क दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आदि, जहां लागू हो) अपलोड करें।
ग. यदि उपलब्ध हो, तो अपना एनएपीएस अप्रेंटिसशिप कोड संख्या तथा एनएटीएस नामांकन संख्या प्रदान करें। (एनएपीएस पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें, इसके लिए खंड 7(iv) और एनएटीएस पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें, इसके लिए खंड 7(v) देखें)।
घ. आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
ङ. इस अधिसूचना के अनुभाग 8 में उल्लिखित श्रेणी के अनुसार लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान करना।

(iii) बीएफ़एसआई एसएससी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:

क्र.सं.	दस्तावेज़ का प्रकार
क	आधार कार्ड फ्रंट साइड प्रारूप: JPEG, आकार: 1 MB से कम
ख	आधार कार्ड बैक साइड प्रारूप: JPEG, आकार: 1 MB से कम
ग	वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी (खाता सक्रिय करने और लॉग इन करने हेतु आवश्यक)
घ	मोबाइल नंबर (सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखने की आवश्यकता होगी)
ड़	पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ प्रारूप: JPEG, आकार: 1 MB से कम
च	अर्हता अंकतालिका/डिग्री/अनंतिम प्रमाणपत्र, प्रारूप: PDF, आकार: 1 MB से कम।
छ	जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) प्रारूप: PDF, आकार: 1 MB से कम।
ज	बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण -पत्र (यदि लागू हो) प्रारूप: PDF, आकार: 1 MB से कम।
झ	पैन कार्ड प्रारूप: JPEG, आकार: 1 MB से कम

(iv) वे सभी आवेदक जिन्होंने पहले https://www.apprenticeshipindia.gov.in (NAPS पोर्टल) पर पंजीकरण **नहीं** किया है, उन्हें अनिवार्य रूप से अभ्यर्थी (Candidate) के रूप में उसी ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए पंजीकरण करना होगा जो उन्होंने BFSI SSC को प्रदान किया है। NAPS पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात, आवेदक पोर्टल पर लॉग-इन करें तथा "Search Opportunities" के अंतर्गत "Search by Establishment Name" अनुभाग में "Punjab National Bank" सर्च करें। अभ्यर्थी सीधे

"Apply" पर क्लिक कर सकते हैं, या यदि वे opportunity को संक्षेप में देखना चाहते हैं, तो उन्हें "View Details" बटन पर क्लिक करना होगा और बाद में पंजाब नैशनल बैंक के अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए "Apply for this Opportunity" बटन पर क्लिक करना होगा।

(v) केवल वे आवेदक जिन्होंने 1 जनवरी 2022 को या उसके बाद अपनी स्नातक (Graduation) पूर्ण/उत्तीर्ण की है तथा पहले https://nats.education.gov.in (NATS पोर्टल) पर पंजीकरण **नहीं** किया है, उन्हें अपने आधार नंबर तथा BFSI SSC को प्रदान किए गए ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का उपयोग करके "Student" के रूप में पंजीकरण करना होगा। NATS पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात, उन्हें पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और "Apply against advertised vacancies" अनुभाग में "Punjab National Bank" खोजकर "Apprenticeship with Punjab National Bank" के लिए आवेदन करना होगा।

(vi) सभी आवेदक, यदि उन्होंने https://bfsissc.com पर आवेदन-सह-परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद संबंधित अप्रेंटिसशिप पोर्टल **एनएपीएस** और/या **एनएटीएस** पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है, तो उन्हें https://beep.bfsissc.com पर लॉग-इन करके अपना **एनएपीएस प्रशिक्षुता कोड संख्या** और/या **एनएटीएस नामांकन संख्या** अपडेट करनी होगी। **(यदि आवेदकों ने अपना एनएपीएस प्रशिक्षुता कोड संख्या और/या एनएटीएस नामांकन संख्या अपडेट नहीं की है, तो उन्हें info@bfsissc.com से अनुस्मारक प्राप्त होंगे)।**

(vii) सभी PwBD (दिव्यांग) आवेदकों को अपने स्क्राइब (लेखक) का पूरा नाम और स्क्राइब के साथ अपना संबंध, स्क्राइब के आधार कार्ड नंबर के साथ info@bfsissc.com पर उपलब्ध कराना होगा।

(viii) अभ्यर्थियों के पास वैध ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए, ताकि कॉल लेटर/सूचना/परामर्श आदि ई-मेल अथवा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सकें।

8. शुल्क/ सूचना प्रभार(अप्रतिदेय):

अभ्यर्थी आवश्यक शुल्कों/सूचना प्रभार का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 08.02.2026 से 24.02.2026 तक कर सकते हैं। भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं है।

आवेदन / परीक्षा शुल्क विवरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	आवेदन प्रसंस्करण शुल्क	परीक्षा शुल्क	सूचना शुल्क	कुल शुल्क
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस (पुरुष)	100	600	100	₹ 800 + 18% GST = ₹ 944
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस (महिला)	100	400	100	₹ 600 + 18% GST = ₹ 708
एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी (पुरुष/ महिला)	100	0	100	₹ 200 + 18% GST = ₹ 236
ट्रांसजेंडर	100	0	100	₹ 200 + 18% GST = ₹ 236
*एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी खाते पर अप्रतिदेय होगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।				

9. चयन प्रक्रिया :

प्रशिक्षु की नियुक्ति हेतु चयन निम्न आधारों पर किया जाएगा: i) ऑनलाइन लिखित परीक्षा,ii) दस्तावेज़ सत्यापन, iii) स्थानीय भाषा की परीक्षा, और iv) चिकित्सा परीक्षा:

9.1. ऑनलाइन लिखित परीक्षा (संभावित तिथि: xx.02.2026):

(i) ऑनलाइन लिखित परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित) की संरचना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल अवधि	परीक्षा का माध्यम
1.	सामान्य / वित्तीय जागरूकता	25	25	60 मिनट	अंग्रेजी / हिंदी
2.	सामान्य अंग्रेजी	25	25		
3.	परिमाणात्मक और तर्क कौशल	25	25		
4.	कंप्यूटर ज्ञान	25	25		
	कुल	**100**	**100**		

(ii) परीक्षा शुल्क का भुगतान करने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि एवं समय की सूचना BFSI SSC पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

(iii) सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा निर्धारित तिथि एवं समय पर उनके स्वयं के कैमरा युक्त डेस्कटॉप/ लैपटॉप/ टैबलेट/ स्मार्टफोन के माध्यम से देनी होगी।

(iv) सभी अभ्यर्थियों को वही पहचान प्रमाण (छवि कैप्चर करने के लिए) प्रदर्शित करना होगा जो उन्होंने अप्रेंटरशिप पोर्टल पर अपलोड किया है।

(v) पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को छोड़कर, किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा देते समय किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए दिशानिर्देश परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

(vi) अभ्यर्थियों को बैंक द्वारा निर्धारित किए गए कुल न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए, निर्धारित अंकों पर 5% की रियायत उपलब्ध है)। किसी एक विषय के लिए कोई न्यूनतम अर्हता अंक नहीं होंगे

(vii) अभ्यर्थियों का चयन उनके योग्यता के आधार पर आरक्षण नियमों के अधीन किया जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हैं (कट ऑफ पॉइंट पर समान अंक) तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को योग्यता सूची में उच्च स्थान दिया जाएगा।

(viii) **उन अभ्यर्थियों का परिणाम जो चयन के लिए अस्थायी रूप से अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, बैंक की वेबसाइट और बीएफएसआई एसएससी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।**

नोट: परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी 'इंफॉर्मेशन हैंडआउट' में दी जाएगी, जिसे परीक्षा के लिए कॉल लेटर के साथ पात्र अभ्यर्थियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

9.2. दस्तावेज़ सत्यापन:

(i) पंजाब नैशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर प्रावधिक रूप से लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आयु / अर्हता / श्रेणी – (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडबल्यूएस/पीडबल्यूबीडी आदि) से संबन्धित उनकी पात्रता की जांच केवल अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा होने के पश्चात केवल दस्तावेज़ सत्यापन के समय की जाएगी।

(ii) अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के केंद्र(केंद्र बैंक द्वारा निर्धारित) पर उपस्थित होना होगा, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। दस्तावेज़ सत्यापन हेतु यात्रा का संपूर्ण व्यय अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा। इस संबंध में होने वाले किसी भी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति या वहन बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा

(iii) अभ्यर्थी की पात्रता तथा पहचान के समर्थन में **निम्नलिखित दस्तावेज़ों को मूल रूप में तथा स्वयं-सत्यापित फोटोकॉपी** के साथ कार्यग्रहण/दस्तावेज़ सत्यापन/भाषा परीक्षा के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेज़ कार्यग्रहण/दस्तावेज़ सत्यापन/ भाषा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

क. बैंक द्वारा भेजे गए भाषा दक्षता परीक्षा के लिए सूचना पत्र/मेल के साथ ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण/नामांकन फॉर्म का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआउट।

ख. जन्म तिथि (डीओबी) का प्रमाण (प्रमाणित नगर प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या एसएसएलसी/कक्षा X का प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)।

ग. वैध फोटो पहचान प्रमाण(*जिसमें वही नाम हो जो कॉल लेटर पर अंकित है*) यथा– पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस/फोटो सहित मतदाता पहचान पत्र/फोटो सहित बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर जारी फोटो पहचान पत्र/मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र/आधार/ फोटो सहित ई-आधार कार्ड।

घ. स्नातक या समकक्ष योग्यता की सभी अंकतालिका (सेमेस्टर या वर्षवार) एवं प्रमाणपत्र।

ङ. 10वीं या उससे ऊपर की कक्षा की अंकतालिका/प्रमाणपत्र जिसमें निर्दिष्ट/चयनित स्थानीय भाषा का अध्ययन किया गया हो (यदि लागू हो)।

च. एससी/एसटी/ओबीसी/ईडबल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र (संलग्न परिशिष्ट के अनुसार)।

छ. ईडबल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय और आस्ति प्रमाणपत्र।

ज. बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि उम्मीदवार ने ऑनलाइन परीक्षा के समय स्क्राइब की सेवाएं ली हैं तो निर्धारित प्रारूप में भरकर स्क्राइब का विवरण जमा करना होगा।

pnb one #JustOneApp

झ. 1.3 के (iv) के अंतर्गत आयु में छूट के पात्र व्यक्तियों को पति के मृत्यु प्रमाणपत्र/तलाक या न्यायिक पृथक्करण के समर्थन में दस्तावेज़ तथा यह शपथपत्र/घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।

ञ. पात्रता के समर्थन में अन्य कोई भी सुसंगत दस्तावेज़।

नोट :

1. यदि अभ्यर्थी ऊपर उल्लिखित सुसंगत पात्रता दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसे कार्यग्रहण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. कार्यग्रहण /दस्तावेज़ सत्यापन के समय सुसंगत पात्रता दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया के लिए अपात्र हो जाएगा।
3. सही और वास्तविक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना पूर्ण रूप से अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा। यदि कार्यग्रहण के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटिपूर्ण दस्तावेज़ीकरण पाया जाता है, तो लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

(iv) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथाअधिसूचित निम्नानुसार है:**

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए:
(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप-कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट से कम श्रेणी न हो) / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यपालक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से कम न हो (iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता हो।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस) के अभ्यर्थियों हेतु: भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय एवं आस्ति प्रमाणपत्र आवश्यक है।

बेंचमार्क दिव्यांगजन हेतु: प्रमाणित प्राधिकारी जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला के उप-मंडल चिकित्सा अधिकारी तथा आर्थोपेडिक्स / नेत्र रोग विशेषज्ञ / ईएनटी सर्जन या यथोचित सरकार द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति शामिल होंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को भाषा परीक्षा के समय या जब भी बैंक द्वारा बुलाया जाए, इसके समर्थन में प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

9.3. स्थानीय भाषा की परीक्षा:

(i) जिस राज्य के प्रशिक्षण सीटों के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, उन्हें उस राज्य की निर्दिष्ट स्थानीय भाषाओं में से किसी एक में दक्ष (पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में) होना चाहिए।

(ii) वे अभ्यर्थी जो 10वीं या 12वीं कक्षा की अंकतालिका/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह प्रमाणित हो कि उन्होंने निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का अध्ययन किया है, उन्हें भाषा परीक्षा नहीं देनी होगी।

(iii) अन्य अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय भाषा के ज्ञान की परीक्षा चयन प्रक्रिया का हिस्सा होगा। यह परीक्षा तब आयोजित की जाएगी जब अभ्यर्थी को बैंक द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(iv) राज्यवार लागू स्थानीय भाषाओं की सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भाषा
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हिंदी / अंग्रेजी
2	आंध्र प्रदेश	तेलुगु / उर्दू
3	अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेज़ी
4	असम	असमिया / बंगाली / बोडो
5	बिहार	हिंदी / उर्दू
6	चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)	हिंदी / पंजाबी
7	छत्तीसगढ़	हिंदी
8	दादरा एवं नगर हवेली (केंद्र शासित प्रदेश) तथा दमन और दीव	गुजराती
9	दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश)	हिंदी
10	गोवा	कोंकणी
11	गुजरात	गुजराती
12	हरियाणा	हिंदी / पंजाबी
13	हिमाचल प्रदेश	हिंदी
14	जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)	उर्दू / हिंदी
15	झारखंड	हिंदी / संथाली
16	कर्नाटक	कन्नडा
17	केरल	मलयालम
18	लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)	उर्दू / लद्दाखी / भोटी (बोधि)
19	लक्षद्वीप	मलयालम
20	मध्य प्रदेश	हिंदी
21	महाराष्ट्र	मराठी
22	मणिपुर	मणिपुरी / अंग्रेजी
23	मेघालय	अंग्रेज़ी / गारो / खासी
24	मिजोरम	मिज़ो
25	नागालैंड	अंग्रेज़ी
26	ओडिशा	ओडिया
27	पुदुचेरी	तमिल
28	पंजाब	पंजाबी / हिंदी
29	राजस्थान	हिंदी
30	सिक्किम	नेपाली / अंग्रेजी
31	तमिलनाडु	तमिल
32	तेलंगाना	तेलुगु / उर्दू
33	त्रिपुरा	बंगाली / कोकबोरोक
34	उत्तर प्रदेश	हिंदी / उर्दू
35	उत्तराखंड	हिंदी
36	पश्चिम बंगाल	बंगाली/ नेपाली

9.4. चिकित्सा परीक्षण:

प्रशिक्षुओं के रूप में अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकताओं और/या अप्रेंटिसशिप नियम, 1992 तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने पर निर्भर करेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने व्यय पर कम से कम एमबीबीएस योग्यता रखने वाले पंजीकृत सामान्य चिकित्सक द्वारा जारी किया गया मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9.5. अंतिम चयन निम्न के अधीन होगा:

(i) पद के लिए पात्रता की पुष्टि तथा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन।
(ii) लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और स्थानीय भाषा की परीक्षा (जहाँ लागू हो) में उत्तीर्ण होना, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है।
(iii) बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया जाना।

10. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

अभ्यर्थियों को उनके स्वहित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कोई भी मिथ्या, हेर-फेर किया हुआ, मनगढ़ंत विवरण प्रस्तुत न करें और न ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाएँ।

ऑनलाइन परीक्षा के समय, यदि कोई अभ्यर्थी पाया जाता है / पाया गया है :

क. ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना, या

ख. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करवाना, या

ग. दुर्व्यवहार करना अथवा परीक्षा की सामग्री या उसमें निहित किसी भी जानकारी को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी रूप या किसी भी माध्यम (मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक) द्वारा प्रकट करना, प्रकाशित करना,प्रतिकृति करना, प्रसारित करना, संग्रहीत करना या प्रसारण एवं भंडारण को सुगम बनाना, किसी भी उद्देश्य के लिए, या

घ. चयन हेतु अपने अभ्यर्थन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना या किसी भी माध्यम से अपने अभ्यर्थन के लिए समर्थन प्राप्त करना, या

ङ. अपने अभ्यर्थन के लिए अनुचित साधनों से समर्थन प्राप्त करना।

वह उत्तरदायी होगा/होगी:

i) उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है जिसके लिए वह अभ्यर्थी है।

ii) बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जाना है।

iii) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की समाप्ति, यदि वह पहले ही बैंक के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में शामिल हो चुका है

नोट: *परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी सही और गलत उत्तरों में समानता के स्वरूप का पता लगाने के लिए अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करेगी। यदि, एजेंसी द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर, यह अनुमान लगाया जाता है या निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं और प्राप्त अंक वास्तविक या वैध नहीं हैं, तो बैंक संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द करने और ऐसे अयोग्य अभ्यर्थियों के परिणामों को रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।*

pnb one #JustOneApp

11. सामान्य जानकारी :

(i) किसी भी अभ्यर्थी के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

(ii) किसी भी भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग पूर्व सैनिक को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा और प्रशिक्षु नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(iii) पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन की विधि, चयन प्रक्रिया का आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्तीकरण आदि से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम तथा सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। सीटों को भरना पूर्ण रूप से बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा, जो अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर आधारित होगा। यदि कुछ सीटें अनुपयुक्तता / अपर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जाती हैं, तो नियुक्ति का कोई दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(iv) अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन को "पात्र" के रूप में नहीं माना जाएगा तथा उसे "अस्वीकृत" माना जाएगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) एक बार पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन वापस नहीं लिया जा सकेगा और/या एक बार जमा किए गए आवेदन प्रभार/सूचना शुल्क को न तो वापस किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

(vi) अंतिम ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद डेटा में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

(vii) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। परीक्षाओं में प्रवेश केवल अस्थायी होगा, जो अभ्यर्थी की आयु/ योग्यता/ श्रेणी (एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडबल्यूएस/ पीडबल्यूबीडी) आदि के सत्यापन पर निर्भर करेगा

(viii) किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा नहीं किया जाना चाहिए। यदि कई आवेदन जमा किए जाते हैं, तो केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा अन्य पंजीकरण के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में कई बार उपस्थित होना तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा और सभी संबंधित आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

(ix) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने के पश्चात अपने सिस्टम द्वारा जेनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल लें। साथ ही, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन विवरण किसी के साथ साझा न करें।

(x) परीक्षा के संचालन में कुछ समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावना को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं जा सकता, जो परीक्षा प्रतिपादन और/या परिणाम जेनरेट होने पर प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसी स्थिति में, समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर दूसरी परीक्षा का आयोजन भी शामिल हो सकता है।

(xi) बैंक को किसी भी मानदंड, नियुक्ति की विधि आदि को बिना किसी कारण बताए परिवर्तित करने(रद्द करने/संशोधित करने/जोड़ने) का अधिकार है।

(xii) बीएफ़एसआई एसएससी द्वारा सभी सूचनाएँ केवल ई-मेल के माध्यम से उसी ई-मेल आईडी पर भेजी जाएँगी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत की गई है। यदि अभ्यर्थियों तक सूचना ई-मेल पता बदलने, तकनीकी खराबी या बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारणवश नहीं पहुँचती हैं तो इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थियों को नवीनतम जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.pnb.bank.in को नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।

(xiii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजन (PwBD) अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वे अंतिम पंजीकरण तिथि तक क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। ओबीसी प्रमाणपत्र जिसमें 'नॉन-क्रीमी लेयर' का उल्लेख हो और जो दिनांक 01.04.2025 से लेकर प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति की तिथि तक जारी किया गया हो, यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे नियुक्ति/दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(xiv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब संबंधित वित्तीय वर्ष अर्थात् FY 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय एवं आस्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

(xv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर सक्रिय रखें ताकि परामर्श, अधिसूचनाएँ जैसे कॉल लेटर/परामर्श आदि प्राप्त कर सकें।

(xvi) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक अपनी पहचान/रूप-रंग में कोई परिवर्तन न करें। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए हस्ताक्षर सभी स्थानों पर जैसे कॉल लेटर आदि तथा भविष्य में बैंक के साथ सभी पत्राचार में समान हों और किसी भी प्रकार की भिन्नता न हो।

(xvii) अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक की अन्य आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने और बैंक की नियुक्ति एवं आचरण नियमों के अधीन होगी। बैंक का निर्णय अभ्यर्थियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(xviii) इस विज्ञापन के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न और/या संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा केवल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT of Delhi) स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(xix) किसी भी प्रकार की अनुशंसा/सिफारिश करना अयोग्यता मानी जाएगी।

(xx) अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में अपने खर्च पर उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रक्रिया के दौरान किए गए किसी भी खर्च, जिसमें यात्रा व्यय भी शामिल है, की प्रतिपूर्ति बैंक नहीं करेगा और न ही वहन करेगा।

(xxi) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन/सूचनाएँ/निर्देशों के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट देखें। इस प्रक्रिया से संबंधित सभी घोषणाएँ/संशोधन/सुधार/विवरण केवल **https://bfsissc.com** या **www.pnb.bank.in** पर समय-समय पर भर्ती अनुभाग के अंतर्गत प्रकाशित/प्रदान किए जाएँगे। जिन अभ्यर्थियों का चयन/शॉर्टलिस्टिंग नहीं किया गया है, उन्हें कोई अलग पत्राचार/सूचना नहीं भेजी जाएगी। बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी अधिसूचनाएँ/संचार उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सूचना मानी जाएगी जिन्होंने इस प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है

12. अस्वीकरण:

(i) बैंक को अधिकार है कि वह आवश्यक होने पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना दिए या बिना कोई कारण बताए, नियुक्ति प्रक्रिया को आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से निरस्त कर सकता है या प्रशिक्षण सीटों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है।

(ii) पंजाब नैशनल बैंक इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि तकनीकी खराबी या बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारणवश आवेदक अंतिम तिथि तक अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए।

(iii) पूरी नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

(iv) बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई या आवेदन पत्र में प्रविष्ट ई-मेल आईडी पर भेजी गई कोई भी सूचना/संचार अभ्यर्थी तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त माना जाएगा।

(v) यदि किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है और/या उसने कोई गलत/मिथ्या जानकारी दी है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, या प्रक्रिया में अनुचित आचरण किया है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि ऐसी कोई कमी नियुक्ति के पश्चात भी पाई जाती है, तो उसका प्रशिक्षण बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा।

(vi) इस नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा

दिनांक: 06.02.2026

महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रभाग)

pnb one #JustOneApp

अनुलग्नक

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBE IN SUPPORT OF HIS / HER CLAIM.

1. This is to certify that Sri / Smt / Kum*______________________________ son / daughter* of______________________________ of village / town* ______________________________ in District / Division*______________________________of the State / Union Territory*____________________belongs to the ____________________Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe* under :

* The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 ;
* The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 ;
* The Constitution (Scheduled Castes)(Union Territories)Orders, 1951 ;
* The Constitution (Scheduled Tribes)(Union Territories)Order, 1951 ;

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists Modification) Order,1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganisation)Act, 1971, the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act,1976, The State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganization) Act, 1987.]:

* The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order,1956 ;
* The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 ;
* The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 ;
* The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 ;
* The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964;
* The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order,1967;
* The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 ;
* The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 ;
* The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 ;
* The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 ;
* The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978 ;
* The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989 ;
* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment)Act, 1990;
* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance, 1991 ;
* The Constitution (ST) Orders (Second Amendment) Act,1991 ;
* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance, 1996;
* The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002;
*The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002;
*The Constitution (Scheduled Caste and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2002;
*The Constitution (Scheduled Caste) Order (Second Amendment) Act, 2002].

 # 2. Applicable in the case of Scheduled Castes / Scheduled Tribes persons, who have migrated from one State / Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribes* Certificate issued to Shri / Smt / Kumari* ____Father /Mother* of Sri / Smt / Kumari*____of village / town _____________________in District/Division*__________________of the State/Union Territory*________________________________ who belong to the_____________________ Caste / Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* issued by the ___________________________________[Name of the authority] vide their order No. __________________________ dated ______________________.

3. Shri/Smt/Kumari*____and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town*________________________ of___________________ District / Division* of the State / Union Territory* of ____________________

Signature ____________________

Designation __________________

Place: **[With seal of Office]**

Date : **State/Union Territory**

Note : The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

---

* Please delete the words which are not applicable.
\# Delete the paragraph which is not applicable.

<u>List of authorities empowered to issue Caste / Tribe Certificates:</u>

1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector/I Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Extra-Asst. Commissioner / Taluka Magistrate / Executive Magistrate.
2. Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate / presidency Magistrate.
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and / or his family normally resides.

Note: The Certificate is subject to amendment/ modification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists from time to time as per Government of India Guidelines.

-- -- --

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Sri / Smt. / Kumari____son/daughter of ________________________________ of village/Town __________________________District/Division ______________ in the State/ Union Territory_______________________ belongs to the ____________________________community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment’s Resolution No. _________________dated ___________*. Shri/Smt./Kumari ___________________and/or his/her family ordinarily reside(s) in the _____________________District/Division of the _________________________State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons /sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93- Estt.[SCT], dated 8-9-1993 **.

Dated :

District Magistrate/
Deputy Commissioner etc.

Seal

---

* - the authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

**- As amended from time to time.

Note:- The term “Ordinarily” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

The Prescribed proforma shall be subject to amendment from time to time as per Government of India Guidelines.

pnb one #JustOneApp

मानव संसाधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय

HUMAN RESOURCE DIVISION, HEAD OFFICE

Government of ………………………..
(Name & Address of the authority issuing the certificate)
INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS
(Prescribed proforma subject to amendment from time to time)

Certificate No. ………… **Date : …………**

VALID FOR THE YEAR …………

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ………….. son/daughter/wife of …………….. permanent resident of ……………………….. Village/Street ……………………….. Post Office………. District……… in the State/Union Territory …………………… Pin Code …………. whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities

2. Shri/Smt./Kumari …………… belongs to the ………….. caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office …………
Name …………………………………..
Designation ……………………………

Recent Passport size attested Photograph of the applicant

* Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.
**Note 2 :The term 'Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.
***Note 3 : The property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

NOTE :- The Income and Asset Certificate issued 'by anyone of the following authorities in the prescribed format as given above shall only be accepted as proof of candidate's claim as 'belonging to EWS : -

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/1st Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner,
(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate,
(iii)Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and
(iv) Sub-Divisional Officer or the area where the candidate and/or his family normally resides.

Logo of Government of India	Logo of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, GoI	Logo of Respective State or Union Territory

Department of Empowerment of Persons with Disabilities,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India

Form-V

Disability Certificate

(In case of Single Disability)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority Issuing the Certificate)

Recent passport size photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate/UDID No. Date of Issue :

This is to certify that I/we have carefully examined <Name of the applicant>, Son/Daughter/Care of < name of father/mother/guardian> , Date of Birth (DD/MM/YYYY), Gender < Male/Female/Transgender> , Registration No. <UDID Enrolment No.> Resident of < address of PwD> whose photograph is affixed above, and I am /we are satisfied that:

(A) He/She is a case of (Any one of the following disabilities):
i. Locomotor Disability
ii. Muscular Dystrophy
iii. Leprosy Cured
iv. Dwarfism
v. Cerebral Palsy
vi. Acid Attack Victim
vii. Low Vision
viii. Blindness
ix. Hearing Impairment
x. Speech and Language Disability
xi. Intellectual Disability
xii. Specific Learning Disabilities
xiii. Autism Spectrum Disorder
xiv. Mental Illness
xv. Chronic Neurological Conditions
xvi. Multiple Sclerosis

pnb one
#JustOneApp

xvii. Parkinson's Diseases
xviii. Haemophilia
xix. Thalassemia
xx. Sickle Cell Disease

(B) Name of affected body part:

(C) The diagnosis in his/her case is ______________

(D) He/She has ___________% (in figure) ________________ percent (in words) disability and the nature of certificate is {Permanent / temporary and valid till (DD/MM/YYYY) } as per the guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 notified by Government of India vide <Notification No> dated (DD/MM/YYY).
Signature / Thumb impression of the Person with Disability:
Signature of notified Medical Authority Member(s):

Signature:
Name and Address of the Medical Authority Issuing the Certificate:

pnb one #JustOneApp

Logo of Government of India	Logo of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, GoI	Logo of Respective State or Union Territory

Department of Empowerment of Persons with Disabilities,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India
Form-VI
Disability Certificate
(In case of Multiple Disabilities)
[See rule 18(1)]
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate/UDID No. Date of Issue:

This is to certify that we have carefully examined <Name of the applicant>, Son/Daughter/Care of <write name of father/mother/guardian> , Date of Birth (DD/MM/YYYY) , Gender< Male/Female/Transgender > , Registration No. <UDID Enrolment No.> Resident of < address of PwD> whose photograph is affixed above, and we are satisfied that:

(A) He/She is a case of **Multiple Disabilities**. His/her extent of physical impairments/ disabilities have been evaluated as per the guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 notified by Government of India vide <Notification No> dated (DD/MM/YYY) for the disabilities below:

S. No.	Disability	Name of Affected Body Part	Diagnosis	Disability Percentage
1	Locomotor Disability			
2	Muscular Dystrophy			
3	Leprosy Cured			
4	Dwarfism			
5	Cerebral Palsy			
6	Acid Attack Victim			
7	Low Vision			
8	Blindness			
9	Hearing Impairment			

S. No.	Disability	Name of Affected Body Part	Diagnosis	Disability Percentage
10	Speech and Language Disability			
11	Intellectual Disability			
12	Specific Learning Disabilities			
13	Autism Spectrum Disorder			
14	Mental Illness			
15	Chronic Neurological Conditions			
16	Multiple Sclerosis			
17	Parkinson's Diseases			
18	Haemophilia			
19	Thalassemia			
20	Sickle Cell Disease			

(Note: Only the disabilities diagnosed will be listed)

(B) He/She has ____________% (in figure) ______________ percent (in words) overall disability and the nature of certificate is { permanent/ temporary and valid till (DD/MM/YYYY) }

Signature / Thumb impression of the Person with Disability:

Signature of notified Medical Authority Members:

Signature:

Name and Address of the Medical Authority Issuing the Certificate:

pnb one
#JustOneApp